भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3920

सोमवार, 18 अगस्त, 2025 / 27 श्रावण, 1947 (शक)

ई-श्रम योजना की प्रभावशीलता

3920. श्री कुंदुरू रघुवीर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के लिए कोई सुरक्षा-संबंधी लाभ या आपातकालीन बीमा कवरेज है;

(ख) तेलंगाना में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत और सुरक्षा या बीमा सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ई-श्रम पोर्टल को स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना दावा योजनाओं से जोड़ने के लिए राज्य सरकारों के साथ समझौता किया है;

(घ) क्या ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों पर सुरक्षा प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा कोई फीडबैक या स्वतंत्र अध्ययन किया गया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ई-श्रम के अंतर्गत भौतिक सुरक्षा किट जारी करने या प्रशिक्षण आयोजित करने का विचार रखती है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारम्भ किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण करना और सहयोग प्रदान करना है।

दिनांक 11 अगस्त 2025 तक की स्थिति के अनुसार, तेलंगाना राज्य में पंजीकृत 45.45 लाख असंगठित कामगारों सहित 30.99 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अनुरूप, अनुग्रह राशि के माध्यम से ई-श्रम पर आकस्मिक मृत्यु/नि:शक्तता दावों को प्रोसेस करने संबंधी दिशानिर्देश 24.08.2023 को जारी किए गए। दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 26.08.2021 से 31.03.2022 के बीच ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों और उक्त अवधि के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए कामगार, आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण अपूरणीय नि:शक्तता की स्थिति में दो लाख रुपये और आंशिक अपूरणीय नि:शक्तता की स्थिति में एक लाख रुपये के पात्र होंगे। दिनांक 31 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार, तेलंगाना राज्य में बीस पात्र लाभार्थियों को अनुग्रह राशि का भुगतान प्राप्त हुआ।

जारी..2/-

असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने हेतु ई-श्रम को "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के रूप में विकसित करने के संबंध में बजट घोषणा, वर्ष 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप- सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को ई-श्रम के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

अब तक, ई-श्रम कार्डधारकों को लाभ प्रदान करने और सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा तथा आकस्मिक दावा तक पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, ई-श्रम को रोजगार के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) और पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) के साथ जोड़ा गया है।

ई-श्रम पोर्टल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा ई-श्रम का तीसरे पक्ष के मूल्यांकन/प्रभाव मूल्यांकन किया गया है।

*****